न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 15 / 2014 एफ एस एस ए एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र श्री विनोदी लाल जैन विक्रेता एवं मालिक मैसर्स— जैन ट्रेडर्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री प्रभुदयाल मालिक मैसर्स राजेन्द्र कुमार सुरेश कुमार खण्डेलवाल, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई।
3. श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री आर0डी0 अग्रवाल डिपो इन्चार्ज, नोमिनी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट नं0 228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया, जयपुर, राजस्थान।
4. मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट नं0 228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया, जयपुर, राजस्थान।

— अभियुक्तगण—

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री सुधीर जैन अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 उपस्थित।
: श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 व 4 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 7.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 2.12.2013 को दोपहर बाद 1:15 बजे मैसर्स—जैन ट्रेडर्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र श्री विनोदी लाल जैन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ का लाइसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 11 पैक टीन एगमार्क घी (कृष्णा) कागज के पैकिट में पैक 15 किग्रा वजन के आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

का शक होने पर एक पैक टीन खोलकर उसमे से हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 800 ग्राम एगमार्क घी (कृष्णा) खरीदा। जिसे विक्रेता ने भी हिलामिलाकर एक साफ, सूखे एवं खाली स्टील के जग में तोलकर दिया, जिसकी कीमत 280 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि नमूने के लिये खरीदशुदा 800 ग्राम एगमार्क घी (कृष्णा) को चार साफ सुखे एवं खाली कांच की बोतलो में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–822 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिंया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं द्वारा दिनांक 3.12.2013 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 3.12.2013 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 4.12.2013 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क घी (कृष्णा) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2549/एक्ट/2013/1289 दिनांक 31.12.2013 के अनुसार अनसेफ व रैफरल फूड लेबोरेट्री गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट सं0 सी.252/14–आरएफएल/1189 दिनांक 28.4.2014 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क घी (कृष्णा) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान परिवाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क घी (कृष्णा) का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

एल.एस./2549/एक्ट/2013/1289 दिनांक 31.12.2013 के अनुसार अनसेफ व रैफरल फूड लेबोरेट्री गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट सं0 सी.252/14–आरएफएल/1189 दिनांक 28.4.2014 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं0 1 ने कृष्णा घी को पैक्ड टीन बिल से खरीदा है और पैक्ड टीन का ही बेचान करता है। उक्त पैक्ड टीन फर्म राजेन्द्र कुमार सुरेश कुमार खण्डेलवाल सिकन्दरा रोड बांदीकुई से लिये है जिसके बिल की प्रति प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी सं0 2 ने कृष्णा घी के पैक्ड टीन अप्रार्थी सं0 4 भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमि0 प्लाट नं0 बी 228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया, जयपुर से खरीदे है जिनका बिल प्रस्तुत कर दिया है। अप्रार्थी सं0 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अभिहित अधिकारी सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति 7154 दिनांक 30.3.2014 में खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा) का नमूना होना एवं इसके पैरा सं0 3 में खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध अंकित किया हुआ है, इस प्रकार अभियोजन स्वीकृति में खाद्य पदार्थ के नमूने में भिन्नता है। खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच में खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2549/एक्ट/2013/1289 दिनांक 31.12.2013 के अनुसार अनसेफ व रैफरल फूड लेबोरेट्री गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट सं0 सी.252/14–आरएफएल/1189 दिनांक 28.4.2014 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। इस प्रकार दोनो जांच रिपोर्ट में भिन्नता है। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने में एफएसएस एक्ट 2006 की प्रक्रिया पूर्ण नही की गई है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस्तगासा/आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2549/एक्ट/2013/1289 दिनांक 31.12.2013 के अनुसार अनसेफ व रैफरल फूड लेबोरेट्री गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट सं0 सी.252/14–आरएफएल/1189 दिनांक 28.4.2014 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उक्त दोनो रिपोर्टस में खाद्य पदार्थ का नमूना कृष्णा घी ही अंकित किया गया है। अभियोजन स्वीकृति में नमूना मिश्रित दूध सहवन से दर्ज होना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 व 4 श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री आर0डी0 अग्रवाल डिपो इन्चार्ज, नोमिनी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट नं0 228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया, जयपुर, राजस्थान द्वारा खाद्य पदार्थ एगमार्क घी (कृष्णा) सबस्टैंडर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 व 4 श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री आर0डी0 अग्रवाल डिपो इन्चार्ज, नोमिनी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट नं0 228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया, जयपुर, पर 50000/– (अक्षरे पचास हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 7.3.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 7.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

प्रकरण संख्या : 15/2014 एफ एस एस ए एक्ट

क्रमांक/ 8327-32

दिनांकः– 7.3.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र श्री विनोदी लाल जैन विक्रेता एवं मालिक मैसर्स– जैन ट्रेडर्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री प्रभुदयाल मालिक मैसर्स राजेन्द्र कुमार सुरेश कुमार खण्डेलवाल, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई।
5. श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री आर0डी0 अग्रवाल डिपो इन्चार्ज, नोमिनी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट नं0 228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया, जयपुर, राजस्थान।
6. मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट नं0 228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया, जयपुर, राजस्थान।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा